न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 116/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 19.09.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/278

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत,
2. देवीसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत,
2. पेमाराम पुत्र श्री गोमाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—पटेल, समस्त वादीगण निवासीगण— मोहरा कलां तहसील—रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र श्री लाबुराम, उम्र—व्यस्क, जाति—कुमावत, निवासी—निम्बेडाकलां
2. चिमनाराम पुत्र श्री गोमाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—पटेल, निवासी—मोहराकलां
3. जबरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
4. बाबुलाल पटेल पुत्र श्री भीखाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—पटेल, निवासी—निम्बेडाकलां
5. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
6. रतनलाल पुत्र श्री गोमाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—पटेल, निवासी—मोहराकलां
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
8. राहुलकुमावत पुत्र श्री मनोज कुमावत, उम्र—व्यस्क, जाति—कुमावत, निवासी—मोहराकलां
9. लालसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
10. सिणगारकंवर पत्नि श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
11. पनेसिह पुत्र श्री शेरसिंह, फौत होने के कारण उनके कायम मुकाम :—
    11.1 उषा कंवर पत्नि श्री पन्नेसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
    11.2 हीना कंवर पुत्री श्री पन्नेसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
    11.3 मीना कंवर पुत्री श्री पन्नेसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
    11.4 चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
    11.5 गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—राजपुत, निवासी—मोहराकलां
    तहसील—रायपुर
12. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाझा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन उपस्थित

निर्णय दिनांकः 03.03.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाझा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा मोहरा कलां, पटवार हल्का—मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र—देवली कलां, तहसील—रायपुर, जिला—पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073—2077 जमाबन्दी 2077 के खाता सं. 179 खसरा सं. 182 रक्बा 9.2673 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खाता सं. 67 खसरा सं. 183 रकबा 4.1602 चाही दोयम खसरा सं. 178 रक्बा 2.9056 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 179 रक्बा 6.0217 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 180 रक्बा 0.2590 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 181 रक्बा 0. 1781 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 310/178 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खाता सं. 56 खसरा सं. 184 रक्बा 2.1286 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 301/184 खसरा सं. 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम वादीगण के सामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073— 2076 कि प्रमाणित प्रति राजस्व नक्शे कि ईमित्र से प्राप्त प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त विवादित भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भुमि है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से मौके पर बटॅवाडा हो रखा था जिस अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भुमि पर रूप्ये लगाकर उपजाउ बनाया है एवं खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं मौखिक बटॅवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादीगण को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है जिस कारण वादीगण ने अपने हिस्से की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 11 के हिस्से की भूमि से अलग करवाना चाहते है,। वादीगण का प्रतिवादीगण से अन्य प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद होने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए वादीगण विवादित भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं मौखिक बॅटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बॅटवाडा करवाना चाहते हैं। उक्त विवादित आराजियात मे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं हाने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होने की सम्भावना बन हुई रहती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 11 के बिच पुर्व मे मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को यह सम्भावना रहती है कि प्रतिवादीगण वादीगण की भुमि पर कब्जा नही कर ले क्योकिं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटॉ जावे । जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद समाप्त हो जाये एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से कि भुमि को उपजाउ बना सके। राजस्व रेकर्ड मे विवादित भुमि सामलाती होने के कारण एवं विवाद होने की सम्भावना को देखते हुए दिनॉक 10/6/2022 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि आप मेरी भुमि पर कब्जा क्यो कर रहे है मैने बडी मुसीबत से एवं लाखो रूपये खर्च कर व खाद डाल मेहनत कर इसे उपजाउ बनाया है। तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को बॅटवाडा करने से मना की दिया। वादीगण के बार बार अपना हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण उसका हक हिस्सा नहीं देना चाहते एवं न ही राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करना चाहते है वादीगण के बन्टॅवाडा करने के निवेदन से प्रतिवादीगण ने बन्टवारा करने से मना देने के कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार राजस्व रेकर्ड में बन्टवारा करवाने को कहा तब प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि उपरोक्त वर्णीत विवादीत आराजियात मे पुरा का पुरा हिस्सा हमारा हैं तुम यहां कुछ नही मागते हो, हमं पुरे खसरे को किसी अजनबी को बेचान कर देंगे, जबकि प्रतिवादीगण को बिना बटॅवाडा किये ऐसा करने का कानूनी हक अधिकार नहीं हैं। वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार बन्टवारा करवाया जावें एवं वादीगण को मौके पर पथ्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। प्रत्येक वादीगण ने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी भुमि मे लाखों रूप्ये लगाकर उपलाउ बनाया हे अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के हिस्से के किसी भू भाग को अपनी जमीन मे मिला देते है या बेचान कर देता हैं तो वादीगण को अपनें हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हैं। चूंकि प्रतिवादीगण 1 से लगायत 11 उक्त विवादित भुमि मे राजस्व रेकर्ड अनुसार सह खातेदार होने से, प्रतिवादी सं. 11 फौत होने से उनके कायम मुकाम को तथा प्रतिवादीगण सं 12 लैण्ड होल्डर होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाये गये हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से सादिर फरमावे की सरहद मौजा मोहरा कलां, पटवार हल्का–मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र–देवली कलां, तहसील–रायपुर, जिला–पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073–2077 जमाबन्दी 2077 के खाता सं. 179 खसरा सं. 182 रक्बा 9.2673 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खाता सं. 67 खसरा सं. 183 रकबा 4.1602 चाही दोयम खसरा सं. 178 रक्बा 2.9056 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 179 रक्बा 6.0217 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 180 रक्बा 0.2590 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 181 रक्बा 0.1781 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 310/178 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खाता सं. 56 खसरा सं. 184 रक्बा 2.1286 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 301/184 खसरा सं. 0.0243 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम वादीगण व प्रतिवादीगण की साामलाती खातेदारी भुमि है उक्त विवादित भुमि को वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का मोके पर कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है इसलिए विवादित भुमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सामलाती भुमि व सामलाती खाता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें लगान को बाटा जावे व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादीगण को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुऐ है जो संलग्न पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 07 के सम्मन की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपरिथत हैं इसीलिए इन प्रतिवादीगण, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपरिथत होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03, 05, 06 के अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने वादपत्र पर जबाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर प्राथमिकि डिकी जारी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं हैं। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मोहरा कलां, पटवार हल्का–मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र–देवली कलां, के खसरा सं. 182 खसरा सं. 178 खसरा सं. 179, खसरा सं. 180 खसरा सं. 181 खसरा सं. 183 खसरा सं. 310/178 खसरा सं. 184 खसरा सं. 301/184 की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। लगान एंव खाते अलग अलग करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर स्वयं मौका निरीक्षण कर बन्टवाडा रिर्पोट पेश करें। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर सा.मि.किया जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

प्राथमिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत,
2. देवीसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत,
2. पेमाराम पुत्र श्री गोमाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–पटेल, समस्त वादीगण निवासीगण– मोहरा कलां तहसील–रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र श्री लाबुराम, उम्र–व्यस्क, जाति–कुमावत, निवारी–निम्बेडाकलां
2. चिमनाराम पुत्र श्री गोमाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–पटेल, निवासी–मोहराकलां
3. जबरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
4. बाबुलाल पटेल पुत्र श्री भीखाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–पटेल, निवासी–निम्बेडाकलां
5. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
6. रतनलाल पुत्र श्री गोमाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–पटेल, निवासी–मोहराकलां
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
8. राहुलकुमावत पुत्र श्री मनोज कुमावत, उम्र–व्यस्क, जाति–कुमावत, निवासी–मोहराकलां
9. लालसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
10. सिणगारकंवर पत्नि श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
11. पनेसिह पुत्र श्री शेरसिंह, फौत होने के कारण उनके कायम मुकाम :–
    - 11.1 उषा कंवर पत्नि श्री पन्नेसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
    - 11.2 हीना कंवर पुत्री श्री पन्नेसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
    - 11.3 मीना कंवर पुत्री श्री पन्नेसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
    - 11.4 चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां
    - 11.5 गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–राजपुत, निवासी–मोहराकलां

    तहसील–रायपुर
12. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,

प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा मोहरा कलां, पटवार हल्का–मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र–देवली कलां, के खसरा सं. 182 खसरा सं. 178 खसरा सं. 179, खसरा सं. 180 खसरा सं. 181 खसरा सं. 183 खसरा सं. 310/178 खसरा सं. 184 खसरा सं. 301/184 की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज...................... ....मुबलिक................ ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.03.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	003	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		003	00
मीजान		10	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।